98.32 25.3.14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C. W. J. C. No. of 2014

Umesh Kumar Choudhary ---- PETITIONER

-- Versus --

The State of Bihar and Others ---- RESPONDENTS

SUBJECT : SELECTION

INDEX.

SL. NO.		PARTICULARS	PAGES.
1.		Writ Application with Affidavit.	1 – 13
2.	**Annexure-1:** Madhepur	A copy of relevant extract of Select List of Block Teacher,	14
3.	**Annexure-2:**	A copy of letter no. 902 dated 12.07.2010	15-16
4.	**Annexure-3:**	A copy of letter no. 207 dated 21.02.2011	17-18
5.	**Annexure-4:**	A copy of order dated 19.06.2012	19-24
6.	**Annexure-5:**	A copy of representation dated 13.08.2013	25
7.	**Annexure-6:**	A copy of letter no. 281 dated 12.09.2013	26
8.	**Annexure-7:**	A copy of representation dated 24.09.2013	27
9.	**Annexure-8:**	A copy of order dated 20.06.2012	28-29
10.	**Annexure-9:**	A copy of letter no. 382 dated 24.06.2012	30
18.	**Vakalatnama**		

C. W. J. C. No. of 2014

Umesh Kumar Choudhary ---- PETITIONER

-- Versus --

The State of Bihar and Others ---- RESPONDENTS

SYNOPSIS

Prayer:

For a direction on the respondents to issue appointment letter under the post of Block Teacher in favour of the Petitioner in the light of order dated 15.06.2012 of the Member, District Teachers' Appointment Appellate Authority, Madhubani, passed in Appeal Case No. 893/08/11 contained in Memo No. 333 dated 19.06.2012.

For a direction on the respondents to issue appointment order with effect from 28.12.2010 with consequential benefits.

Facts: The petitioner belongs to general category and is B. Com., B. Ed.

25.08.2008	Second phase Primary Teachers Appointment process initiated. - Petitioner being eligible applied for the post of Block Teacher. - Petitioner participated in counseling.
12.07.2010	Director, Primary Education instructed all recruitment units to issue appointment orders on obtaining affidavit to the effect that on verification, if documents are found fake, appointments shall be cancelled.
22.12.2010	Select List was prepared, petition at Serial No. 80 with 68.29%.
24.12.2010	Director, Primary Education instructed to issue Appointment Letters only after verification of certificate.
28.12.2010	Recruitment Unit decided to act upon instruction of Director, Primary Education dated 24.12.2010.
21.02.2011	Letter of Principal Secretary directing the Appellate Authority to examine the grievances of the selected candidates on case-

	to-case basis and the selected candidates be not denied appointment letters of no fault on their part.
27.09.2011	Petitioner filed representation before the Tribunal.
15.06.2012	Tribunal directed for appointment of the petitioner.
20.06.2012	Order of this Hon'ble Court in C. W. J. C. No. 10322/12 for implementing the order of the Tribunal.
24.06.2012	Order of Principal Secretary for implementing the order of the Tribunal.
13.08.2013	Petitioner's representation for issuing appointment letter.
12.09.2013	Letter of B. E. O., Madhepur informing the petitioner that in the absence of verification report, it is not possible to issue appointment letter.

Hence this Writ Application

Filed through:— Jai Kishor Poddar Advocate

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C. W. J. C. No. of 2014

In the matter of an application under Article 226 of Constitution of India for amendment in prayer

A N D

In the matter of

Umesh Kumar Choudhary, son of Sri Krishna Kumar Choudhary, resident of Village - Ranipur, P. S. - Sadar, District – Darbhanga.

---- PETITIONER

-- Versus--

1) The State of Bihar through the Principal Secretary, Human Resources Development Department, Government of Bihar, New Secretariate, Patna

2) The Director, Primary Education, Human Resources Development Department, Government of Bihar, New Secretariate, Patna

3) The District Education Officer, Madhubani.

4) The Block Education Officer, Madhepur.

5) The Member, District Teachers' Appointment Appellate Authority, Madhubani.

---- RESPONDENTS

To

Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion justices of the saide Hon'ble High Court.

The humble amendment application on behalf of the petitioners above-named.

Most Respectfully Sheweth :

1. That in the present writ application the Petitioner seeks the following reliefs :

(i) For a direction on the respondents to issue appointment letter under the post of Block Teacher in favour of the Petitioner in the light of

order dated 15.06.2012 of the Member, District Teachers' Appointment Appellate Authority, Madhubani, passed in Appeal Case No. 893/08/11 contained in Memo No. 333 dated 19.06.2012.

(ii) For a direction on the respondents to issue appointment order with effect from 28.12.2010 with consequential benefits.

(iii) Any other relief or reliefs to which the Petitioner is found entitled in the facts and circumstances of the case.

2. **That** in the present writ application following substantial questions of law **are** involved to be determined by this Hon'ble Court :-

(i) Whether an order has been passed by the Statutory Tribunal within jurisdiction, the respondents are required to comply the same or not.

(ii) Whether the statutory order passed by the Tribunal, not challenged by the respondents are to be complied/implemented or not.

(iii) Whether the order of the Tribunal under Rule 18, the Bihar Primary Teachers' (Appointment and Condition of Service) Rules, 2006 is final and binding on all concerned or not.

(iv) Whether in the facts and circumstances of the case, *writ of mandamus* is required to be issued, directing the respondents to

perform their ministerial functions by issued order of appointment in favour of the petitioner.

3. That the Petitioner, a citizen of India, resides within the territorial jurisdiction of this Court.

4. That the Petitioner belongs to the General Category candidate and is B. Com, B. Ed.

5. That the Bihar Panchayat Primary Teacher (Recruitment and Service Condition) Rules, 2006 was brought into effect from 01.07.2006.

6. That vide Notification No. 3149 dated 25.08.2008, amendments were brought in 2006 Rules with effect from 25.08.2008.

7. That vide Notification No. 3151 dated 25.08.2008, Appointment Committee was directed to initiate recruitment process for Second Phase Primary Teachers Appointment.

8. That Block Teachers' Recruitment Unit, Madhepur, initiated the process of appointment to the post of Block Teacher.

9. That the Petitioner being eligible, applied for the post of Block Teacher.

10. That counseling of held in which the petitioner participated.

11. That on 22.12.2010, a Select List of Block Teachers in Madhepur was prepared in which the name of the petitioner appears at Serial no. 80

having registration number 1890, merit position being 218 at roaster point 135, roaster category u/r and merit position 68.29 having obtained Teachers' Training from Millat Primary Teachers' Training College, Madhubani.

A copy of relevant extract of Select List of Block Teacher, Madhepur is annexed herewith to mark as Annexure – 1.

12. **That** the petitioner has learnt from the office of the Block Education Officer, **Madhepur** that vide letter no. 218 dated 25.05.2009, the B. Ed. Certificate of the Petitioner had been forwarded to the concerned University for its verification.

13. That vide letter bearing Memo No. 1557 dated 24.12.2010 of the Director, Primary Education, Bihar and vide letter no. 4443 dated 27.12.2010 of District Superintendent of Education, Madhubani, appointment letters to only such selected candidates be issued of whose certificates were already verified by the concerned University.

14. That on 28.12.2010, the Block Teachers' Recruitment Unit, Madhepur, in its meeting decided not to issued appointment orders in favour of such

selected candidates whose verification report with regard to their educational certificates were awaited.

15. That the petitioner has learnt that the Director, Primary Education vide its letter no. 902 dated 12.07.2010 has instructed all the recruitment units to issue appointment orders in favour of selected candidates whose educational certificates were yet to be verified on obtaining an affidavit to the effect that in the event on verification the educational certificates were found forged, the appointment may be cancelled and steps be taken for the recovery of amount received and it will be open to the recruitment unit to take legal action against the persons concerned.

A copy of letter no. 902 dated 12.07.2010 is annexed herewith to mark as Annexure – 2.

16. That thereafter, vide letter bearing Memo No. 1088 dated 31.08.2010 the date of issue of appointment letters to the post of Block Teachers was fixed as on 12.08.2010 which was subsequently extended to that of 28.12.2010 vide letter no. 1475 dated 04.12.2010 by the Principal Secretary of Human Resources Development Department, Govt. of Bihar.

17. That vide letter no. 207 dated 21.02.2011, all the members of the District Teachers' Appointment Appellate Authority were directed to examine the grievance of the selected candidates on case to case basis and in the light of instructions issued from the department necessary orders be passed for the appointment in favour of one or the other and the Field Officers were directed to implement the order of the Tribunal. Such instruction was issued by the Principle Secretary after having come to know that the appointment orders were not being issued awaiting the verification report from the concerned Universities for which the selected candidates cannot be held responsible or on the ground that the recruitment unit has deliberately delayed the process of recruitment.

A copy of letter no. 207 dated 21.02.2011 is annexed herewith to mark as Annexure - 3.

18. That in spite of aforesaid instruction, when the recruitment unit did not issue letter of appointment in favour of the petitioner, led to filing of Appeal Case No. 893/08/2011 before the District Teachers' Appointment Appellate Authority, Madhubani on 27.09.2011 stating *inter-alia* therein

that the recruitment unit is deliberately delaying is issuance of appointment letter in his favour without any valid reason.

19. That the Tribunal vide its letter bearing Memo no. 615 dated 18.10.2011 called for comments from the Secretary, Block Education Officer, Madhepur who submitted its comment by letter no.. 302 dated 02.12.2011 whereafter concerned parties were herd by the Tribunal and documents were perused. The Tribunal vide its order dated 15.06.2012 directed the recruitment unit to issue appointment order in favour of the petitioner **forth**with and the copy of the order was communicated to the Block **Edu**cation Officer, Madhepur, District Education Officer, Madhepur vide Memo No..333 dated 19.06.2012.

A copy of order dated 19.06.2012 to mark as Annexure - 4.

20. That on 24.12.2012 and 13.08.2013, the petitioner filed representation before the Block Education Officer, Madhepur requesting him to issue appointment order in the light of order of the Tribunal dated 15.06.2012.

A copy of representation dated 13.08.2013 is annexed herewith to mark as Annexure - 5.

21. That the Block Education Officer, Madhepur, vide its letter no. 281 dated 12.09.2013 informed the petitioner that the verification report of his educational certificate is still awaited and in the light of the decision of the Recruitment Unit dated 28.12.2010, it is not appropriate to issued Appointment Letter in favour of the petitioner.

A copy of letter no. 281 dated 12.09.2013 is annexed herewith to mark as Annexure - 6.

22. That on 24.09.2013, the petitioner filed a representation before the Block Education Officer, Madhepur informing him that letter no. 218 dated 25.05.2009 by which the educational certificates had been sent to the university for its verification has not been received in the university office. The petitioner called for information with regard to the details of subsequent letter, if any, by which certificate has been sent for verification. The petitioner is yet to receive any response.

A copy of representation dated 24.09.2013 is annexed herewith to mark as Annexure - 7.

23. That it is stated that the recruitment unit is yet to issue appointment order in favour of the petitioner in the light of order dated 15.06.2012 passed in case no. 893/08/2011 by the Tribunal.

24. That it is stated that the respondent have not challenged order dated 15.06.2012 passed in case no. 893/08/2011 before any higher authority/court and thereby the order of the Tribunal is reached its finality.

25. That this Hon'ble Court vide its order dated 20.06.2012 passed in C. W. J. C. No. 10322/2012 (Arun Kumar Jha Vs. The State of Bihar and Others) in similar circumstances has issued *mandamus* for the compliance of order of the Tribunal.

A copy of order dated 20.06.2012 is annexed herewith to mark as Annexure - 8.

26. That in C. W. J. C. No. 7347/2010 (Md. Nasiruddin Ansari Vrs. The State of Bihar and Others), reported in 2010 (4) PLJR 24, this Hon'ble Court in similar circumstances directed for issue of appointment letter.

27. That the Principal Secretary, HTD, now Education Department has issued letter no. 382 dated 24.06.2012 has directed all the concerned authorities

for ensuring the compliance of order passed by the District Teachers' Appointment Appellate Authority.

A copy of letter no. 382 dated 24.06.2012 is annexed herewith to mark as Annexure - 9.

28. That it is submitted that the action of the respondents is arbitrary, unreasonable, malafide and colorable exercise of power by not implementing the order of the Tribunal so far the petitioner is concerned.

29. That is also submitted that the Appellate Tribunal's order being intact, is required to be complied with since the Statutory Order is not an exercise in futility.

30. That it is also submitted that for no fault on the part of the petitioner in regard to verification of certificates, the petitioner has been made to suffer by depriving him from the order of appointment and its consequential benefits.

31. That in the facts and circumstances of the case the Petitioner has been advised that he has no other alternative efficacious remedy but to approach this Hon'ble Court for the redressal of his grievance by filing the present writ application.

32. That the Petitioner has not earlier moved before this Hon'ble Court on the subject matter of this application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to issue a rule and a writ on the respondents to show cause as to why prayer made in Paragraph No. 1 of the writ application be not allowed and after hearing the counsels for the parties and such cause as may be shown, on return of the rule, make the same absolute

And/or

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Umesh Kumar Choudhary, aged about 32 years, S/o Krishna Kumar Choudhary, **R/o resident** of Village - Ranipur, P. S. - Sadar, District – Darbhanga. do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am the petitioner in this case and am well acquainted with the facts and circumstances of the case
2. That I have gone through the contents of this Writ application and have understood the same which are true to my knowledge except those made in 12, 15, 18, 19, 25, 26, — which are by way of information derived from the sources mentioned herein and the statement made in paragraph no. 1, 2, and 28 to 31 — are by way of submissions before this Hon'ble Court and the annexure thereto are true / Photostat copies of their respective originals.

Annexure-1

प्रखंड शिक्षक निोजन 2008

प्रखंड-मधेपुर

चयनित अभ्यर्थियों की सूची

क्रमांक	निबंधन सं0	आवेदक का नाम	पिता का नाम	मेधा सूची क्र0	शिक्षक कोटि	आरक्षण कोटि	रोस्टर बिन्दु	रोस्टर कोटि	मेधा अंक	प्रशिक्षण का विद्यालय	अभ्युक्ति
1	13019	अनीता कुमार	जितेन्द्र चौधरी	2	सामान्य	SC	56	SCF	66.77	बी.आई.ई.सी. पटना	अप्र0
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
80	1890	उमेश कुमार चौधरी	कृष्ण कुमार चौधरी	218	सामान्य	GEN	135	UR	68.29	मिल्लत प्रा0शि0प0म0वि0 मधुबनी	प्रशि0
99	45	लालबहादुर सिंह	रघुवीर सिंह	34	PHY	EBC	154	EBC	47.07	के.पांडेय स्वा0 शारि0शि0म0 पटना	प्रशि0

15

Annexure-2

पत्रांक 902

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग।

प्रेषक,

आशुतोष

निदेशक, प्राथतमक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,

सभी अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी

सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी

सभी पंचायत सचिव।

पटना, दिनांक 12/07/10

विषय- **राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में द्वितीय शिक्षक नियोजन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व में निर्गत विभागीय निदेश के आलोक में चयनित उम्मीदवारों को चयन पत्र उपलब्ध कराने/चयन की जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। यह भी निदेश दिया गया था कि चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच के उपरान्त उन्हें कौन्सिलिंग के आधार पर नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा।

1. जिला से प्राप्त प्रमाण पत्रों के सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट हो रहा है कि अधिकांश नियोजन इकाइयों में प्रमाण पत्रें के सतयापन का कार्य पूरा हो गया है। अतएव सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रारम्भिक विद्यालयों में नियोजन के लिए चयनित उम्मीदवरों को निम्न कार्यक्रम के अनुसार नियोजन पत्र देने संबंधित विज्ञप्ति दिनांक 8 जुलाई 2010 के समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी है -

1.	नगर शिक्षक		
(क)	नगर निगम/नगर परिषद्	-	दिनांक - 23.07.2010
(ख)	नगर पंचायत	-	दिनांक - 24.07.2010
2.	प्रखंड शिक्षक	-	दिनांक - 27.07.2010
3.	पंचायत शिक्षक	-	दिनांक - 30.07.2010

2. उक्त निर्धारित तिथि को कॉन्सिलिंग के दौरान जिला अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं पाया जाता है, उन अभ्यर्थियों से एक शपथ पत्र लिया जायेगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि मेरा प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो मेरा नियोजन रद्द कर दिया जायेगा तथा मेरे

कार्यरत अवधि के वेतन भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

3. उक्त कंडिका 2 में अंकित शपथ पत्र के आधार पर उम्मीदवार को चयन पत्र दिया जायेगा तथा प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरान्त योगदान की तिथि से ही उन्हें नियत वेतन का भुगतान किया जायेगा।

4. यह भी स्पष्ट करना है कि विभागीय पत्रांक-850 दिनांक 05.07.2010 में दिये गये निदेश के आलोक में जिन नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजन की कार्रवाई पूर्ण नहीं की गयी है अथवा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सहयोग नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध प्रशासनिक एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

अतः उक्त विन्दुओं के आलोक में निर्धारित समय तालिका के अनुसार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाए। नियोजन से संबंधित पूर्ण जानकारी एवं प्रतिवेदन नियोजन की अंतिम तिथि की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर विभाग को विशेष दूत से उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें।

विश्वासभाजन

ह0/-अस्पष्ट

12/07/10

(आशुतोष

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 7/नि0 03-02/06 अंश 'क' 902 पटना, दिनांक :- 12/07/10

प्रतिलिपि :- राज्य परियोजन निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/सभी जिला पदाधिकारी /सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-अस्पष्ट

12/07/10

निदेशक प्राथमिक शिक्षा।

(17)

Annexure-3

पत्रांक-7/नि03-02/08 अंश 'क' 207

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

अजंनी कुमार सिंह,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी सदस्यों,

जिला शिक्षा नियोजन अपीलीय प्राधिकार।

पटना, दिनांक :- 21/02/11

विषय:- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में द्वितीय शिक्षक नयोजन के संबंध में प्राप्त शिकायतों/अपीलों के निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य का प्रारंभिक विद्यालयों में द्वितीय शिक्षक नियोजन हेतु 8 जुलाई 2010 के समाचार पत्रों में (छायाप्रति संलग्न) विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी जिसके संबंध में विभागीय पत्रांक 902 दिनांक 12.07.10 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा नियोजन पत्र वितरण के संबंध में कतिपय निर्देश लिए गए थे। अपरिहार्य कारणवश 8 जुलाई 2010 के समाचार पत्रों में नियोजन पत्र देने हेतु प्रकाशित तिथि में परिवर्तन करते हुए नई तिथि निर्धारित की गयी थी जो निम्नवत थे :-

1.	नगर शिक्षक		
	(क) नगर निगम/नगर पिरषद्	-	दिनांक - 09.08.10
	(ख) नगर पंचायत	-	दिनांक - 10.08.10
2.	प्रखंड शिक्षक	-	दिनांक - 12.08.10
3.	पंचायत शिक्षक	-	दिनांक - 13.08.10 एवं 14.08.10

उपर्युक्त दिनों की प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

उपर्युक्त समय तालिका के अनुसार नियोजन एवं वितरण किया जाना था। कुछ नियोजन इकाईयों के द्वारा निर्धारित तिथि को नियोजन पत्र दे दिया गया। किन्तु कुछ नियोजन इकाइयों के द्वारा निर्धारित तिथि को नियोजन पत्र नहीं देकर बाद की तिथि में नियोजन पत्र देने की कार्रवाई की सूचना विभाग को प्राप्त हुई जिस कारण विभागीय पत्रांक-1088 दिनांक-31.08.10 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा निर्धारित तिथि के उपरांत दिए जाने वाले नियोजन पत्र को अमान्य कर दिया गया। साथ ही सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत नियोजन पत्र वितरण हेतु पुन: नई तिथि निर्धारित की गयी हो निम्नवत् थी :-

1.	नगर शिक्षक		
	(क) नगर निगम/नगर पिरषद्	-	दिनांक - 12.12.10
	(ख) नगर पंचायत	-	दिनांक - 24.12.10 एवं 27.12.10
2.	प्रखंड शिक्षक	-	दिनांक - 28.12.10
3.	पंचायत शिक्षक	-	दिनांक - 29.12.10 एवं 30.12.10

गोपालगंज जिला को छोड़कर शेष सभी जिलों में उक्त तालिका के अनुसार नियोजन पत्र पुन: दिये जाने का निर्देश दिया गया। तत्संबंधी प्रकाशित विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न है। निर्धारित समय तालिका के अनुसार नियोजन पत्र देने के क्रम में कई स्त्रोतों से यह सूचना मिलने लगी कि जिन

नियोजन इकाइयों में मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं किया गया था तथा जांच हेतु प्रमाण पत्र विभाग को नहीं दिया गया था वहाँ भी नियोजन पत्र देने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कार्रवाई को अवैध मानते हुए विभागीय पत्रांक-1557 दिनांक-24.12.10 के द्वारा कतिपय निदेश दिये गये। दिये गये निर्देश पत्र की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

सरकार के द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि उक्त निर्धारित समय तालिका (गोपालगंज जिला को छोड़कर) एवं दिशा-निर्देश के अनुरूप नियोजन इकाइयों में नियोजन पत्र का वितरण किया जायेगा। किन्तु द्वितीय नियोजन की इस कार्रवाई के संबंध में निम्न प्रकार की शिकायतें/अभ्यावेदन विभाग में प्राप्त हो रहे हैं :-

1. कुछ नियोजन इकाइयों ने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया था। किन्तु नियोजन पत्र वितरित नहीं किया गया। अभ्यावेदन प्रापत हो रहे हैं कि ऐसे नियोजन इकाईयों में नियोजन हेतु पुन: तिथि निर्धारित की जाय।
2. कतिपय नियोजन इकाइयों के द्वारा अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि प्रासंगिक नियोजन इकाइयों ने समय पर प्रमाण पत्र विभाग के स्थानीय पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया था किन्तु उनके द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया गया। इसलिए नियोजन इकाई एवं अभ्यर्थी का दोष नहीं होने के कारण उन्हें नियोजन पत्र मिलना चाहिए।
3. कतिपय नियोजन इकाइयों के द्वारा जानबुझ कर नियोजन की कार्रवाई नहीं की गयी। समय पर मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया अथवा समय पर प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु जमा नहीं किया गया।

राज्य सरकार के द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरानत निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं -

1. उपर्युक्त शिकायतों के क्रमांक 1 एवं 2 के संबंध में जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार सक्षम होगा कि ऐसे मामलों के संबंध में उनका यहां प्राप्त पील को वे Case to Case basis पर सुनवाई कर विभागीय निदेशों के आलोक में सम्यक् आदेश पारित करें। स्थानीय पदाधिकारी उसका अनुपालन विभाग के नियमावली, मार्गदर्शन के अनुसार करायेगें। कोई विशेष परिस्थिति होने पर विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर लेंगे।

अपीलीय प्राधिकार सुनवाई एवं जॉच के क्रम में यदि पाते हैं कि किसी किसी नियोजन इकाई के व्यक्ति अथवा पदाधिकारी के द्वारा सरकार के निर्देशों को नहीं लड़ी मानते हुए जानकर द्वितीय शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया अथवा उसे असफल करने का कार्य किया गया है तो ऐसे पदाधिकारियों (कर्मियों के संबंध में अपना प्रतिवेदन जिला के विभागीय पदाधिकारी को देगें। इसके आधार पर संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में द्वितीय शिक्षक नियोजन से ज्यादा मामले की सुनवाई कर निष्पादित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथावत

विश्वासभाजन
ह0/-अस्पष्ट 18/02/11
(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 207 दिनांक - 21/02/11

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार पदाधिकारी/शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-अस्पष्ट 18/2/11 प्रधान सचिव

Annexure-4

आदेश

15/6/12 यह वाद सं0 893/08/11 उमेश कुमार चौधरी बनाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह सचिव, प्रखंड शिक्षा नियोजन इकाई, मधेपुर, आवेदक उमेश कुमार चौधरी पिता श्री कृष्ण कुमार चौधरी, ग्राम रानीपुर थाना दरभंगा सदर, जिला-दरभंगा द्वारा दाखिल शपथ पत्र के साथ अभ्यावेदन पर प्रारम्भ किया गया जो द्वितीय चरण वर्ष 2008 प्रखंड शिक्षा नियोजन से संबंधित है।

अपने आवेदन में इन्होंने कहा है कि मधेपुर प्रखंड शिक्षा नियोजन इकाई में प्रखंड नियोजन शिक्षा नियोजन हेतु इन्होंने आवेदन दिया, मेधा सूची में इनका नाम सामिल किया गया तथा निर्धारित तिथि पर कान्सीलिंग में भाग

लिया था तथा अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस आधार पर इनका नाम चयनित सूची में सामिल किया गया। फिर भी इन्हें नियोजन पत्र अन्तत: नहीं दिया गया जबकि कम अंक धारी अभ्यर्थी का नियोजन कर लिया गया। अपने दावा के समर्थन में प्रखंड स्तर पर तैयार की गई चयनित सूची की छाया प्रति दाखिल की गई है।

इसके विरूद्ध नियोजन इकाई के सचिव प्रखंड शिक्षा पदा0, मधेपुर को प्राधिकार के ज्ञापांक 615 दिनांक 18.10. 2011 से सूचना देकर प्रत्युतर मांगा गया जो उनके पत्रांक 302 दिनांक 2-12-11 विलंब से प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् उपस्थित पक्षों को विभिन्न तिथियों पर सुना गया तथा प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया जिससे अधोलिखित तथा प्रकाश

में आता है।

आवेदक उमेश कुमार चौधरी पिता-श्री कृष्ण कुमार द्वारा मधेपुर प्रखंड नियोजन इकाई में वर्ष 2008 में प्रखंड शिक्ष नियोजन हेतु आवेदन दिया गया था जिसकी प्राप्ति रसीद संख्या-1890 (T) है, ये सामान्य कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थी है, तथा इनका मेधा अंक 68.29 प्रतिशत है। इनके द्वारा प्रस्तुत मेधा सूची की छाया प्रति से स्पष्ट होता है कि प्रखंड में कुल 99 (निनावे) अभ्यर्थियों की चयन सूची बनाई गई है। उक्त सूची के क्रमांक 80 पर आवेदक का नाम दर्ज है तथा ये प्रशिक्षित अभ्यर्थी है। फिर भी इनका नियोजन नहीं किया गया।

प्रत्युतर में विपक्षी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधेपुर द्वारा

कहा गया है कि आवेदक से कम मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का नियोजन नहीं किया गया है जैसा कि आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया है। वास्तविक बात यह है कि उक्त प्रखंड में सभी चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका जिस कारण वहाँ नियोजन कार्य ही नहीं किया गया।

इसके विरूद्ध आवेदक की ओर से बताया गया कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार पटना के ज्ञापांक 1557 दिनांक 24-12-10 के द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है उन्हें दिनांक 29/12/10 से 30/12/10 तक नियोजन पत्र दे देना है। आवेदक एक प्रशिक्षित चयनित अभ्यर्थी है तथा इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है अतः इन्हें हर हाल में नियोजन पत्र निर्धारित तिथि पर मिल जाना चाहिये था

23

जो नियोजन इकाई द्वारा नहीं निर्गत किया जाना सरकारी विभागीय आदेश के प्रतिकूल है।

संबंधित विभागीय आदेश के अवलोकन से आवेदक का कथन सही प्रतीत होता है। उक्त विभागीय आदेश के आलोक में नियोजन नहीं करना नियोजन इकाई द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने का द्योतक है तथा सरकारी आदेश की अवहेलना भी है।

अतः यदि आवेदक उमेश कुमार चौधरी जिनका नाम चयनित सूची में दर्ज है तथा इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन प्राप्त है जैसा कि आवेदक द्वारा कहा गया है, तो नियोजन इकाई के सचिव, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधेपुर को आदेश दिया जाता है

24

कि आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय नियमावली एवं निर्देश के तहत आवेदक से आवश्यक एकरारनामा एवं सहमति पत्र प्रापत कर इनका नियोजन निर्धारित कोटि एवं रिक्ति के विरूद्ध आदेश प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र भेजें।

इस आदेश की प्रतिनिधि प्रखंड नियोजन इकाई, मधेपुर के सचिव प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजें।

ह0/-अस्पष्ट
15/6/12

ज्ञापांक 333/ मुधबनी, दिनांक - 19/6/12

प्रतिलिपि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुर एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-अस्पष्ट
15/6/12

Annex-5

(25)

सेवा में,

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुर, जिला – मधुबनी

विषयः– प्रार्थि आवेदक का प्रखण्ड शिक्षक के रूप में नियोजन पत्र (शिक्षक नियोजन) अपीलीये प्राधिकार के द्वारा वाद सं0 893/08/2011 के आदेश एवं निर्देश दिनांक 15.06.2012 के बावजूद प्रखण्ड शिक्षक के पद पर नियोजन पत्र निर्गत नही करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निवेदन है कि वर्ष 2008 ई0 में प्रखण्ड मधेपुर के अन्तर्गत शिक्षक पद पर नियोजन हेतु आवेदन दिया एवं मेधा सूची में मुझे 68.29 मेधा अंक प्राप्त हुआ तथां मेरा सभी शैक्षिणिक प्रमाण पत्र की सत्यापन एवं शिक्षक नियोजन अपीलीये प्राधिकार द्वारा अपील वाद सं0 893/08/11 में पारित आदेश एवं दिनांक 15.06.2012 ज्ञापांक 333 दिनांक 18.07.2012 को आप के कार्यालय में प्रस्तुत किया फिर भी अभीतक मेरा नियोजन पत्र नही निर्गत किया गया जो सरकारी निर्देश एवं उक्त अपीलीये प्राधिकार के आदेश एवं निर्देश का अवहेलना है।

अतः नम्र निवेदन है कि अविलम्ब अपने स्तर से मेरा नियोजन पत्र निर्गत हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय अन्यथा प्रार्थि को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पड़ेगां तथा आप इसके लिए उत्तरदायी होगें।

अनुलग्नकः– अपीलीय वाद
संख्या – 893/08/2011
की छाया प्रति संलग्न

आपका विश्वासभाजन
उमेश कुमार चौधरी
13.8.13

उमेश कुमार चौधरी

प्राप्त
13.8.13

(26)

Annexure-6

पत्रांक 281

प्रेषक- प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुर

सेवा में,

श्री उमेश कुमार चौधरी

ग्राम-रानीपुर, प्रखण्ड-दरभंगा सदर

जिला-मधुबनी

मधेपुरा, दिनांक 12.9.13

विषय- जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधुबनी के वाद संख्या 893/08/2011 के आलोक में प्रखण्ड शिक्षक के पद पर नियोजन पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अपीलीय प्राधिकार के अलोक में प्रखण्ड शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन दिया गया है। इस म में अपीलीय प्राधिकार के वाद संख्या 893/08/2011 के आदेश पत्र के ज्ञापांक 333 दिनांक 15.6.12 के पृष्ठ संख्या 13 में यह उल्लिखित किया गया है कि यदि आवेदक श्री चौधरी के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य हो गया हो तो नियोजन ईकाई द्वारा आवश्यक प्रयिा अपनाते हुए विभागीय नियमावली एवं निर्देश के आलोक में नियोजन कि कारवाई की जाए। इस संबंध में सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 218 दिनांक 25.5.09 के द्वारा आपके B.Ed. के प्रमाण पत्रों की सत्यापन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय को पत्र उपलब्ध करा दिया गया है परन्तु अभी तक सत्यापन होने संबंधी कोई पत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अप्राप्त है। प्रखण्ड शिक्षक नियोजन समिति मधेपुर की दिनांक 28.12.10 को हुई विशेष बैठक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक 1557 दिनांक 24.12.10 एवं जिला शिक्षा अधीक्षक मधुबनी के पत्रांक 4443 दिनांक 27.12.10 के आलोक में प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण नियोजन प्रयिा स्थगित करने का निर्णय लिया गया। उक्त म में सदस्य, जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधुबनी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 302 दिनांक 2.12.11 के द्वारा उपर्युक्त सभी तथ्यों को लिखित रूप में प्रतिवेदित किया गया है। इस कारण नियोजन करना सही प्रतीत नहीं होता है।

अत: आपको सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्रखण्ड पदाधिकारी मधेपुर।

Annexure-7

सेवा में,

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुर

विषय:- B.Ed. के प्रमाण पत्र के सत्यापन के संदर्भ में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा मेरे नाम से एक पत्र 20.09.13 को प्राप्त हुआ, जिसमें आपके द्वारा लिखा गया है कि मेरे B.Ed. के प्रमाण पत्र की सत्यापन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय को पत्र भेजा गया है, जिसका पत्रांक 218 दिनांक 25.05.09 है, परंतु अभी तक सत्यापन होने संबंधित कोई पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा नियोजन स्थगित है। पत्र प्राप्ति के बाद मैं विश्वविद्यालय गया जहाँ छानबीन के पश्चात् संबंधित अधिकारियों से मौखिक रूप से यज ाकनकारी प्राप्त हुई की उपर्युक्त पत्रांक दिनांक के संदर्भ में कोई पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

चूँकि यह मामला काफी पुराना हो गया है, इसलिए श्रीमान् से निवेदन है की आप मेरा प्रमाण-पत्र पुनः सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय को भेजे, जिससे मेरा नियोजन जल्द से जल्द हो सके।

अगर आपके द्वारा मेरा प्रमाण-पत्र पुनः सत्यापित हेतु नहीं भेजा गया तो आप पिछले भेजे गए पत्र (पत्रांक 281, दिनांक 25.05.09) के विषय में जानकारी दे की आप उसे कब और किस मायम (निबंधित डाक/साधारण डाक) से विश्वविद्यालय को भेजे, जिसकी जानकारी मुझे लिखित दी जाए तथा भेजे गए पत्र की फोटो कॉपी उपलब्ध कराए जिससे मैं साक्ष्य के साथ विश्वविद्यालय में अपनी बात रख सकुँ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में ठोस कदम उठाया जाए, अन्यथा मुझे उच्च न्यायालय जाने को मजबुर होना पड़ेगा, जिसके जिम्मेवार आप होगें।

विश्वासभाजन

उमेश कुमार चौधरी

ग्राम-रानीपुर, प्रखंड-सदर, दरभंगा

24/09/13

मो0 नं0 9304650784

अनुलग्नक :-

आपके द्वारा भेजे गए

पत्र की छाया प्रति

Annexure - 8

WEB COPY
NOT OFFICIAL

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.10322 of 2012

1. Arun Kumar Jha Son Of Sita Ram Jha Resident Of Village-Harilochanpur Tiswara, P.S.- Sarairanjan, District- Samastipur

.... Petitioner/s

Versus

1. The State Of Bihar
2. The Principal Secretary, Human Resources Development Department, Govt. Of Bihar, Patna
3. The Director, Primary Education, Govt. Of Bihar, Patna
4. The Deputy Director, Primary Education, Govt. Of Bihar, Patna
5. The District Magistrate, Samastipur
6. The District Superintendent Of Education, Samastipur
7. The District Programme Officer, Samastipur
8. The District Teacher Appointment Appellate Authority, Samastipur
9. The Block Development Officer, Morwa, Samastipur
10. The Block Education Extension Officer, Morwa, Samastipur-Cum-Member Secretary, Block Appointment Committee, Morwa
11. The Pramukh, Morwa Prakhand, Samastipur

.... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Satyavrat Verma
For the Respondent/s	:	Mr. Manoj Priaydarshi Sc17

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE NAVIN SINHA
ORAL ORDER

2 20-06-2012 Heard learned Counsel for the petitioner and the State.

The petitioner is aggrieved by failure of the respondents to implement the order of the District Teachers Appointment Appellate Authority, Samastipur dated 20.1.2012.

Learned Counsel for the petitioner submits that the Tribunal in no uncertain terms has upheld pre NCTE training qualification of the petitioner. It has however only granted liberty to the respondents for examining the genuineness and validity of his certificates.

Counsel for the State prays for time to file counter affidavit.

If an order has been passed by a statutory Tribunal within jurisdiction, the respondents are required to comply the same. The

29

statutory order is not an exercise in futility. Unless and until the respondents have challenged the order of the Tribunal they have no other option but to comply the same.

In (1978) 1 SCC 1 (Sharif Ahmad v Regional Tansport Authority) it was observed as follows:-

> "14.......We think that the Regional Transport Authority, pursuant to the order of the Appellate Tribunal, had merely to perform a ministerial duty and the minor discretionary element given to it for finding out whether the terms of the Appellate Order had been complied with or not is not enough to deter the Courts from characterising the function as ministerial. On the facts and in the circumstances of this case by a writ of mandamus the said authority must be directed to perform its function."

Mandamus is issued for compliance with the order of the Tribunal preferably within a maximum period of two months from the date of receipt and/or presentation of a copy of this order.

The writ application stands disposed.

(Navin Sinha, J)

Snkumar/-

Annexure-7

पत्रांक–7 / नि० 1 17 / 2012 – 382

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक–...................

विषय:– जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार द्वारा शिक्षक नियोजन से संबंधित मामलों में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि अधिकांश अपीलीय प्राधिकार के सदस्यों के द्वारा इस मामले को प्रकाश में लाया गया है कि उनके द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन संबंधित पदाधिकारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं / नगर निकायों के द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसे मामले अब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आ रहे है जिसमें अपीलीय प्राधिकार के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर अपीलीय प्राधिकार के आदेश के अनुपालन कराने की प्रार्थना की जाती है। यह स्थिति अवांछनीय है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं०–2950 / 12 में यह नियमन दिया गया है कि अपीलीय प्राधिकार या जिला समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कराने का दायित्व संबंधित अपीलीय प्राधिकार / जिला समाहर्त्ता को है। यह कार्य माननीय उच्च न्यायालय का नहीं है।

अतः अनुरोध है कि अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों का अनुपालन सभी संबंधित अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं / नगर निकायों से कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि ऐसे मामले माननीय उच्च न्यायालय में दायर नहीं हो।

विश्वासभाजन,

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–......382...... पटना, दिनांक – 24/06/2012

प्रतिलिपि :– सभी जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।